



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102026-277151
CG-DL-E-14102026-277151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 815]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

सं. 83/2026 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 886(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/1997-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 10 के समक्ष, राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में, कॉलम (3) और (4) में, कॉलम (3) में मद (xii) और कॉलम (4) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों के अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(xiii) मांडलगढ़, भीलवाड़ा	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या ऐसी किसी अन्य श्रेणी के माल की लदाई।”

[फा. सं. सीबीआईसी-52/35/2025]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

टिप्पणी :- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 67/2026-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 31 जुलाई, 2026, सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2026 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2026

No. 83/2026 - Customs (N.T.)

G.S.R. 886(E).— In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.) dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193 (E), dated the 2nd April, 1997, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 10, relating to the State of Rajasthan, in column (3) and (4), after item (xii) in column (3) and the entries relating thereto in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(xiii) Mandalgarh, Bhilwara	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.”

[F. No. CBIC-52/35/2025]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note :- The principal notification No.12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193 (E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification number 67/2026-Customs (N.T.) dated the 31st July, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 694(E), dated the 31st July, 2026.